

# आदर्श कोषागार कार्यालय, जवाहर भवन लखनऊ

सिविल/शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/बेसिक)/पारिवारिक पेंशन

कम्प्यूटर इंडेक्स नं 0 .....

मो. नं 0 .....

आयकर पैन नं 0 .....

आधार नं 0 .....

## फार्म संख्या 8 (1)

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र  
(अनुच्छेद 17 देखा जाए)

### 1. जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी/खाता धारक श्री/श्रीमती .....  
(पेंशनभोगी का नाम) जो पेंशन भुगतानादेश संख्या .....  
बैंक खाता संख्या ..... का धारक है, को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में  
जीवित है।

हस्ताक्षर .....

अधिकृत अधिकारी का नाम/शाखा प्रबन्धक का नाम  
(यदि बैंक द्वारा प्रमाणित है)

नमूना हस्ताक्षर संख्या .....

बैंक का नाम (मोहर) .....

## फार्म संख्या 8 (2)

### 2. रोजगार रद्दित होने संबंधी प्रमाणपत्र

- मैं घोषण करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए रोजगार/वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है। (उ०प्र० सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)
- मैं पारिवारिक पेंशनर के रूप में घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राजकीय सेवा अथवा रोजगार में हूँ/नहीं हूँ।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....

## फार्म संख्या 8 (3)

### 3. पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाणपत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।  
या

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पेंशनभोगी का नाम .....

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि .....

पेंशनर द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि .....

पति/पत्नी का नाम ..... पेंशन भुगतान सं 0 .....

स्थायी/वर्तमान पता ..... .....

..... बैंक का नाम/शाखा .....

ई-मेल ..... बैंक खाता सं .....

### “जो लागू न हो उसे काट दिया जाये”

नोट : कृपया कोषागार अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने का कष्ट कर

श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति .....

जो पेंशन पी.पी.ओ. संख्या/ बैंक खाता संख्या/पेंशनर इंडेक्स संख्या .....

के धारक है, से जीवित/रोजगार/अविवाहित होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया।